*भारत में जमा बीमा क्षेत्र में नए आयाम**

- श्री माइकल देवब्रत पात्र

आप सभी को सुप्रभात!

मैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) की कार्यकारी परिषद (EXCO) की 79वीं बैठक में भाग लेकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आईएडीआई के वैश्विक मानक-निर्धारक होने के साथ-साथ जमा बीमा से संबंधित प्रथाओं और तकनीकों पर सूचना और देश के अनुभवों के लेन-देन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में उसकी हार्दिक प्रशंसा करता हूँ। दुनिया भर में जमा बीमा प्रणाली को प्रभावी बनाने में आईएडीआई महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास मजबूत हो रहा है और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो रही है।

अपनी बात शुरू करने से पहले आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारतीय निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), आईएडीआई और एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी) के सहयोग से 12 से 14 अगस्त 2024 के दौरान भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान के जयपुर में 'इवोल्विंग फिनान्शियल लैंडस्केप: इमर्जिंग इश्यूज फॉर डिपॉजिट इंश्यूरंस एंड दी इंपोर्टेंस ऑफ क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस' विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। जयपुर एक विश्व धरोहर शहर है और इसकी इमारतों की प्रमुख रंग योजना के कारण इसे गुलाबी शहर के रूप में भी जाना जाता है। डीआईसीजीसी की ओर से मैं आईएडीआई के सभी सदस्यों को सम्मेलन में आमंत्रित करता हूँ। हम भारत और जयपुर में जल्द ही मिलेंगे।

हाल के समय में भारत एक सक्रिय जमा बीमा (डीआई) ढाँचे को डिजाइन करने और उसे लागू करने में सबसे आगे रहा है जो बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बैंक रन या विफलताओं के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से बचाता है। तदनुसार, मेरे संबोधन का विषय जमाकर्ताओं के लिए एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत में हाल ही में की गई नीतिगत पहलों से संबंधित है। मार्च 2023 में कुछ क्षेत्राधिकारों में बैंक विफलताओं के संदर्भ में यह विषय काफी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो गया है, जिसने मौद्रिक नीति के संचालन के साथ-साथ विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। अस्थिरता को कम करने और उसके प्रसार प्रभाव को रोकने के लिए जमा बीमाकर्ताओं (डीआई) और विनियामकों की त्वरित और निर्णायक प्रति कार्रवाई वित्तीय स्थिरता को स्थापित करने में समाधान (रिजोल्यूशन) और जमा बीमा के परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर रही हैं।

II. देशीय परिस्थिति में भारत में जमा बीमा

मैं डीआईसीजीसी की स्थापना के संबंध में एक संक्षिप्त ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए शुरू करता हूँ। 1948 और 1960 के दौरान बैंक विफलताओं की कुछ घटनाएं घटीं जिससे जमा बीमा का विचार सामने आया। संसद द्वारा 1961 में जमा बीमा अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत देश के केंद्रीय बैंक, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जमा बीमा निगम (डीआईसी) की स्थापना की गई। इसे 15 जुलाई 1978 को भारतीय ऋण गारंटी निगम के साथ विलय कर दिया गया और इसका नाम बदलकर निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कर दिया गया, जिसका मुख्य कार्य था - "जमाराशियों का बीमा और ऋण सुविधाओं तथा उससे जुड़े या उससे संबंधित अन्य मामलों के लिए गारंटी"।

III. कार्य का स्वरूप (अधिदेश)

कार्य के स्वरूप के देखते हुए इसकी शुरुआत से ही निगम को एक पेबॉक्स प्लस[1] संस्था के रूप में परिकल्पित किया गया था।

* 14 जून, 2024 को रोम, इटली में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) की 79वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के उप गवर्नर माइकल देवब्रत पात्र द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। अनुप कुमार, अरुण विष्णु कुमार, अपर्णा भट्ट द्विवेदी से मूल्यवान टिप्पणियां और विनीत कुमार श्रीवास्तव से संपादकीय सहायता प्राप्त हुई।

[1] प्रतिपूर्ति से परे समाधान में अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ जैसे कि वित्तपोषण में योगदान, संचालन और/या समाधान प्रक्रिया में निर्णय लेना।

अप्रैल 2003 में ऋण गारंटी कार्य बंद कर दिया गया और जमाराशि का बीमा निगम का मुख्य कार्य बन गया और अभी भी बना हुआ है। समाधान कार्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के रूप में आरबीआई के पास है। वर्तमान में, विलय के मामले में पेबॉक्स प्लस संबंधी कार्य वित्तीय सहायता के प्रावधान तक ही सीमित है। हालाँकि, हाल ही में, अगस्त 2021 में डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन के साथ इसके कार्य स्वरूप को मजबूत किया गया है जिसमें निर्धारित समयसीमा के भीतर अग्रिम भुगतान किए जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान जमा बीमाकर्ता क्षेत्र में अनोखा है। ऐसा बैंक जो ऋण शोधन क्षमता दबाव के अधीन हो और जिसे विनियामक निर्देशों के तहत अपनी देनदारियों का निर्वहन करने से रोका गया हो ऐसे बैंक के जमाकर्ताओं को जमा बीमा सीमा तक भुगतान करने के लिए निगम अब उत्तरदायी है। यह भुगतान बैंक को विनियामक निर्देशों के तहत रखे जाने के 90 दिनों के भीतर जमा बीमा सीमा तक किया जाता है। अर्थात यह प्रक्रिया परिसमापन और समामेलन से पहले हो जाती है। बीमित बैंक को 45 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं की सूची जमा करनी होती है। निगम को 30 दिनों के भीतर दावों की वास्तविकता और प्रामाणिकता का सत्यापन करवाना होता है और उन जमाकर्ताओं को अगले 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होता है जिन्होंने इसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। यदि आरबीआई को समामेलन/समझौता या व्यवस्था/पुनर्निर्माण की योजना लाना उचित लगता है, तो ऐसी स्थिति में निगम की देयता 90 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ जाएगी।

वैश्विक स्तर पर भी डीआई के अधिदेशों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें पेबॉक्स[2] संस्थाओं की हिस्सेदारी कम हो रही है। 2023 तक यह घटकर 17 प्रतिशत रह गई है। राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा तंत्र में भागीदार के रूप में डीआई की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, डीआई को वित्तपोषण और समाधान सहित अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। परिणामस्वरूप, पेबॉक्स प्लस अधिदेश वाले डीआई की हिस्सेदारी बढ़कर 48 प्रतिशत (दस वर्षों में 11 आधार अंकों की वृद्धि) हो गई है जो विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में है। हानि न्यूनीकरणकर्ताओं[3] और जोखिम न्यूनीकरणकर्ताओं[4] का हिस्सा मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा है।

IV. व्याप्ति (कवरेज)

इस मोड़ पर भारत में जमा बीमा कवरेज के बारे में कुछ शैलीगत तथ्य प्रस्तुत करना और यह बताना उचित होगा कि आईएडीआई[5] द्वारा हाल ही में बताए गए वैश्विक अनुभव से उनकी तुलना किस प्रकार होती है। भारत में विदेशी बैंकों सहित सभी बैंकों के लिए जमा बीमा अनिवार्य है। वर्तमान में 1,997 बैंक इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें 140 वाणिज्यिक बैंक और 1,857 सहकारी बैंक शामिल हैं। सहकारी बैंक वे बैंक हैं जो अपने सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले छोटे वित्तीय संस्थान हैं और उनका संचालन समुदाय-केंद्रित है। आईएडीआई के नवीनतम जमा बीमा सर्वेक्षण[6] के अनुसार यह दुनिया में जमा बीमा द्वारा कवर किए गए जमा स्वीकार करने वाले संस्थानों की सबसे बड़ी संख्या है, जो यूएस के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्तमान बीमा कवरेज सीमा बैंक में प्रति जमाकर्ता 500,000 रुपये (लगभग यूएस$ 6000) है। प्रति व्यक्ति नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के गुणक के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह वैश्विक औसत 3.3 के मुकाबले 2.9 गुना है, लेकिन यह पेबॉक्स और जोखिम कम करने वाले डीआई के औसत के साथ अनुकूल तुलना करता है। खाता आधार पर जमाराशियों के मूल्य के संदर्भ में भारत में कवरेज अनुपात 97.9 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत के अनुरूप है, तथा वैश्विक औसत से थोड़ा कम है - जो 44.2 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक औसत 47 प्रतिशत है।

[2] प्रीमियम लगाने और जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति करने तक सीमित।

[3] जमा बीमाकर्ता कम से कम लागत वाली समाधान रणनीतियों की शृंखला से चयन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं।

[4] जमा बीमाकर्ताओं के पास व्यापक जोखिम न्यूनीकरण कार्य होते हैं जिनमें जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन, प्रारंभिक हस्तक्षेप और समाधान शक्तियों की एक पूरी व्यवस्था और कुछ मामलों में विवेकपूर्ण निरीक्षण जिम्मेदारियाँ शामिल होती हैं।

[5] आईएडीआई: "डिपोजिट इंश्यूरंस इन 2024 – ग्लोबल ट्रेंड एंड की इश्यूज़", आईएडीआई, अप्रैल 2024।

[6] ग्लोबल सर्वे ऑन डिपॉज़िट इंश्यूरंस एंड फ़ाइनेंशियल सेफ्टी नेट फ्रेमवर्क' आईएडीआई, 2022।

V. वित्तपोषण

भारत में जमा बीमा के लिए वित्तपोषण वैश्विक केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिसके तहत 96 प्रतिशत डीआई को सदस्य संस्थानों से किस्त लेकर वित्त पोषित किया जाता है (निधि में कर-पूर्व अभिवृद्धि का 64 प्रतिशत)। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-2023 में जमा बीमा निधि (डीआईएफ) में लगभग 35 प्रतिशत अभिवृद्धि निवेश आय से हुई है। दुनिया भर में बढ़ती प्रथा के अनुसार लगभग आधे जमा बीमाकर्ता अतिरिक्त जोखिम उपायों को शामिल करते हुए विभेदक प्रीमियम लगाते हैं - जो 2010 के 30 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन भारत में 0.12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से एक समान दर प्रीमियम लगाया जाता है, जिसे निगम के डीआईएफ की पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया गया है। बीमाकृत जमाराशियों के अनुपात से मापा गया निधि का आकार 2.02 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत के बराबर है। निगम ने मार्च 2028 तक 2.5 प्रतिशत के अनुपात की उपलब्धि का लक्ष्य रखा है।

VI. प्रतिपूर्ति

बीमित जमाकर्ताओं की प्रतिपूर्ति डीआई की मुख्य जिम्मेदारी है। आईएडीआई अपने कोर प्रिंसिपल 15 के रूप में "7 दिनों के भीतर" की अवधि को बढ़ावा देता है। प्रतिपूर्ति की गति में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन पिछले दशक में कोर प्रिंसिपल को पूरा करना एक चुनौती बना हुआ है। जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति करने के लिए वैश्विक औसत अवधि 28 से घटकर 14 दिन हो गई है[7]। वर्तमान में डीआईसीजीसी की प्रतिपूर्ति में औसतन लगभग एक महीने का समय लगता है। आमतौर पर तेजी से प्रतिपूर्ति में बाधा डालने वाले कारकों में डेटा गुणवत्ता के मुद्दे, बीमित जमाकर्ताओं की पहचान और वैकल्पिक बैंक खाते की कमी वाले जमाकर्ता शामिल हैं।

[7] सात दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति शुरू करने वाले डीआई का अनुपात दोगुना होकर लगभग 60 प्रतिशत हो गया, जिसमें 70 प्रतिशत यूरोपीय और अमेरिकी डीआई ने सात दिनों के भीतर भुगतान शुरू कर दिया है, इसके बाद लगभग 50 प्रतिशत अफ्रीकी डीआई और 40 प्रतिशत एशियाई डीआई ने भुगतान शुरू कर दिया है।

VII. भारत में जमा बीमा के लिए नए दृष्टिकोण

मार्च 2023 में बैंकिंग में हुई उथल-पुथल और उसके बाद की स्थिति ने नीति निर्माताओं को जमा बीमा प्रक्रियाओं की रूपरेखा पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। भारत में, इस स्थिति में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के लिए स्थापित बेंचमार्किंग के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है, खासकर प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों में। इसमें जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को नया रूप देना शामिल है, जिसमें आकस्मिक योजना और संकट प्रबंधन रूपरेखाएँ शामिल हैं जो कि आईएडीआई के 2020 के मार्गदर्शन पत्र "जमा बीमाकर्ताओं (डीआई) के जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली" के अनुरूप है। डीआईसीजीसी के 24.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पोर्टफोलियो के संदर्भ में ट्रेजरी संचालन को आस्ति-देयता प्रबंधन उपायों, चलनिधि और सांद्रता अनुपातों की वास्तविक समय निगरानी और विभिन्न विश्वास स्तरों पर समय-समय पर मूल्य-जोखिम और परिदृश्य विश्लेषण के साथ सुदृढ़ किया जा रहा है। एक समर्पित बाजार जोखिम रिज़र्व भी बनाया गया है। बाजार उधारी, केंद्रीय बैंक/सरकार से चलनिधि सहायता आदि जैसे कुछ जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए सांविधिक प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।

इसके अलावा जन जागरूकता अभियानों को नया रूप दिया जा रहा है और उनका स्तर बढ़ाया जा रहा है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत संचार नीति के तहत जमा बीमा से संबंधित जानकारी के निरंतर प्रसार के माध्यम से जमा बीमा के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी बीमित बैंकों के लिए अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर डीआईसीजीसी की वेबसाइट से जुड़े डीआईसीजीसी लोगो और क्यूआर कोड को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। निगम ने एक हाइपर-लोकल सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर भी पंजीकरण किया है जो दावा भुगतान पर विशिष्ट जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। संदेशों को स्ट्रक्चर्ड मोबाइल फ़ोन टेक्स्ट द्वारा भी रिले किया जाता है। खोज

क्षमता, सूचना व्यवस्था, बेहतर उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस/अनुभव, सामग्री रणनीति और उपयोगकर्ता जुड़ाव, एक प्रगतिशील वेब ऐप और इसी तरह के मामले में इसे और अधिक ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए वेबसाइट को ही नया रूप दिया जा रहा है।

सभी परिचालनों का डिजिटल रूपांतरण चल रहा है, जिसमें डेटा प्रबंधन, प्रक्रिया अनुकूलन, व्यवसाय विश्लेषण और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तकनीकें शामिल हैं। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे प्रसंस्करण और विभिन्न मॉड्यूल के सहज एकीकरण के साथ-साथ एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है। एक स्टैंडअलोन सिंगल कस्टमर व्यू एप्लिकेशन (एससीवीए) दावों को प्रस्तुत करने में लगने वाले समय को कम करेगा। इन-हाउस रिकवरी डैशबोर्ड अनुपालन की निगरानी करने और आस्ति विवरण तथा परिसमापकों द्वारा भुगतानों के प्रमाणीकरण को सक्षम बनाता है।

VIII. निष्कर्ष

भविष्य में जमा बीमा कार्य के विकासक्रम को अनिश्चितता के बीच अधिक जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणालियों के लिए एक व्यापक जोखिम के रूप में उभर रहा है। आईएडीआई के सर्वेक्षणों के अनुसार 60 प्रतिशत डीआई ने पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) नीतियों को औपचारिक रूप दिया है और कुछ नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफएस) के सदस्य हैं। यही वह मुद्दा है जो भारत में हमें जागृत रख रही है, जिसमें शामिल है - जलवायु स्थिरता के तत्वों को शामिल करते हुए एक व्यापक ईएसजी नीति तैयार करना, सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड में निवेश, डिफ़ॉल्ट जोखिम पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मापना और एक्चुरियल विश्लेषण के माध्यम से जलवायु संबंधी चरम घटनाओं के लिए आकस्मिक योजना बनाना। हम ग्रीन डिपॉजिट, जलवायु जोखिम आधारित विभेदित प्रीमियम और जलवायु स्थिरता के लिए पूर्व वित्त पोषण आवश्यकताओं के लिए उचित कवरेज की खोज कर रहे हैं। इन नई चुनौतियों के लिए अनिवार्य रूप से डीआई और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था प्रतिभागियों के साथ-साथ अन्य प्राधिकार क्षेत्रों के बीच प्रभावी समन्वय और सूचना साझाकरण की आवश्यकता होगी। इस तरह के मंच वैश्विक समन्वय के महत्वपूर्ण केंद्र होंगे। अब कार्रवाई करने का समय है।

धन्यवाद